

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 187 / 2025

अनवान : -

- 1 जसवंत पुत्र दौलतराम जाति सुथार निवासी 12 डीबीएल त० टिब्बी।

वादी

बनाम

- 1 संतलाल पुत्र दौलतराम जाति सुथार निवासी 12 डीबीएल त० टिब्बी।
- 2 तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ उपखण्ड अधिकारी सत्यनारायण के समक्ष प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता श्री आरएस भादू वादी एवं श्री साहबराम कस्वां प्रतिवादीगण की उपस्थित में डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं० 1 के नाम से दर्ज चक 10 डीबीएल के खाता सं० 80 / 25 में से प०न० 185 / 354 मु० 33 किलानं० 5 / 1 / 0.015 है० व किलानं० 6 / 1 / 0.015 है० व किलानं० 15 / 4 / 0.011 है० पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण भूमि का वादी जसवंत खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार प्रतिवादी सं० 1 का हिस्सा कम किया जावे। व तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि इसी के साथ ही चक नं० 10 डीबीएल के प०न० 185 / 354 मु० 33 किलानं० 15 / 4 में 0.002 है० रास्ता पूर्व में मन्जुरशुदा रास्ता के चिपता, वादी को घोषणा में प्राप्त आराजी तक उतर दिशा की ओर गै०मु० रास्ता का अंकन राजस्व रिकोर्ड में किया जावे। कृषि भूमि पर यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश, रहन आदि न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 14/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई है।

(सत्यनारायण)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 पदेन सहायक अधिकारी (राजस्व)
 टिब्बी जिला हनुमानगढ़
 R.A.S